भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 87

दिनांक 24.02.2015/05 फाल्गुन, 1936 (शक) को उत्तर के लिए

आतंकवाद संबंधी समझौता

†87. श्री सुल्तान अहमदः

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने सार्क देशों और अमेरिका के साथ आतंकवाद से संबंधित डाटाबेस के विनिमय के लिए किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का ग्लोबल टेररिस्ट स्क्रीनिंग और ग्लोबल एंट्री प्रोग्राम के लिए कोई संस्थान है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री **(श्री हरिभाई परथीभाई चौधरी)**

(क) से (घ): भारत ने सार्क देशों के साथ आतंकवाद से जुड़ी सूचना के आदान-प्रदान संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। सार्क आतंकवादी अपराध निगरानी डेस्क (एसटीओएमडी), सार्क मादक पदार्थ अपराध निगरानी डेस्क (एसडीओएमडी), आतंकवाद से छुटकारे संबंधी सार्क क्षेत्रीय अभिसमय, आतंकवाद के दमन संबंधी सार्क क्षेत्रीय अभिसमय के लिए अतिरिक्त प्रोटोकॉल और आपराधिक मामलों में पारस्परिक सहायता संबंधी सार्क अभिसमय भारत द्वारा हस्ताक्षरित अभिसमय/प्रोटोकॉल हैं।

अमेरिका के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान दिनांक 25.1.2015 को जारी भारत-अमेरिका संयुक्त वक्तव्य के अनुसार, अमेरिकी राष्ट्रपति तथा भारत के प्रधानमंत्री ने ज्ञात और संदिग्ध आतंकवादियों से संबंधित सूचना को साझा करने के लिए एक समझौते के प्रति लगातार कार्य करने के लिए सहमति जताई। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र आतंकवादी पहचान के संबंध में सहयोग को बढ़ाने के लिए विचार-विमर्श हेतु भी सहमति जताई। उन्होंने संयुक्त राज्य के वैश्विक प्रवेश कार्यक्रम में भारत की सदस्यता, जनता के बीच संबंध को और सुदृढ़ करने के लिए भारत और अमेरिका के बीच यात्रा को सुगम बनाने के उद्देश्य से किये जाने वाले प्रयासों को बढ़ाने के लिए प्रथम तकनीकी विचार-विमर्श का भी स्वागत किया। तथापि, वैश्विक आतंकवादी स्क्रीनिंग के लिए कोई सरकारी संस्थान नहीं है।

****